न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 209/2020
निर्णय दिनांक : 17/2/2022

1. रामावतार पुत्र रामसहाय जाति महाजन निवासी व्यासों का मौहल्ला सांगानेर जिला जयपुर।

...वादी

बनाम

1. कैलाशी मीणा पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी– ए–9 श्याम वाटिका, ए ब्लॉक, वाटिका रोड ग्राम बाढ श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयबाई पत्नी प्रभूलाल मीणा जाति मीणा निवासी धीरावतो की ढाणी, ग्राम चक गेटोर प्रताप नगर सांगानेर जिला जयपुर।
3. सीमा पत्नी कृष्ण कुमार धाकड जाति धाकड निवासी प्लांट नम्बर 7, बालाजी विहार 16 वाटिका रोड बाढ श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सूरज देवी मीणा पत्नी घासीराम मीणा जाति मीणा निवासी 106 पेमाका की ढाणी ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
6. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता नगर निगम रोड़ सांगानेर जयपुर।

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 111 तथा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 98 के खसरा नम्बर 187/618 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित है जो वादग्रस्त है वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि में सम्बोधित किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार अपने–अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ है। वर्तमान में जमीनो के बाजार भाव बढ गये है प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार अन्य भू–माफियो लोगो से मिलकर [illegible] भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने ओर आवासीय व्यवसायिक और कृषि निर्माण करने पर आमादा है, जिसका उन्है कोई अधिकार नही है। दिनांक 09.07.2020 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि को बेचान करने ओर वादग्रस्त भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी देने तथा प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार द्वारा विधिवत तकासमा एवं सीमाकन कराने से इन्कार करने पर वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित हुये। पक्षकारान के मध्य दिनांक 09.09.2021 को राजीनामा होने से अब कोई विवाद शेष नही रहने पर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने हेतु राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया। पक्षकारान ने राजीनामा में अंकित किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/618 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित है कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सहकाश्तकार है, जिसका बंटवारा उभयपक्षों ने निम्न प्रकार किया है।

वादी रामावतार गुप्ता के हिस्से में खसरा नम्बर 188 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/618 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/618/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर जिसे संलग्न राजीनामा नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 कैलाशी मीणा, प्रतिवादी संख्या 2 जयबाई, प्रतिवादी संख्या 3 सीमा एवं प्रतिवादी संख्या 4 सूरज देवी मीणा के हिस्से में खसरा नम्बर 188/1 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/618/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर जिसे संलग्न राजीनामा नक्शे में रानी कलर से दर्शित किया गया है।

हमने बहस उभयपकक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा वादी तथा प्रतिवादीगण की ओर से पेश राजीनामा का अवलोकन किया जाने वादी की ओर से पेश वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम श्योसिहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित विवादित आराजीयात कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/618 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर का राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का विभाजन किया जावे, राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में उनके हिस्सेनुसार भूमि अधिक हो तो वादी एवं प्रतिवादीगण से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त कर निर्णय व डिक्री की पालना सुनिश्चित की जावे, तदानुसार अलग-अलग खाता व लगान का निर्धारण किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो। राजीनाम निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:26 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इकतदाई
(औ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास श्री राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 209/2020

1. रामावतार पुत्र रामसहाय जाति महाजन निवासी व्यासों का मौहल्ला सांगानेर जिला जयपुर।

...वादी

बनाम

1. कैलाशी मीणा पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी– ए–9 श्याम वाटिका, ए ब्लॉक, वाटिका रोड ग्राम बाढ श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयबाई पत्नी प्रभूलाल मीणा जाति मीणा निवासी धीरावतो की ढाणी, ग्राम चक गेटोर प्रताप नगर सांगानेर जिला जयपुर।
3. सीमा पत्नी कृष्ण कुमार धाकड जाति धाकड निवासी प्लांट नम्बर 7, बालाजी विहार 16 वाटिका रोड बाढ श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सूरज देवी मीणा पत्नी घासीराम मीणा जाति मीणा निवासी 106 पेमाका की ढाणी ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
6. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता नगर निगम रोड़ सांगानेर जयपुर।

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 111 तथा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। वादी का वाद डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित विवादित आराजीयात कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/618 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर का राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का विभाजन किया जावे, राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में उनके हिस्सेनुसार भूमि अधिक हो तो वादी एवं प्रतिवादीगण से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त कर निर्णय व डिक्री की पालना मुताबिक ... अलग–अलग खाता व लगान का निर्धारण किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में ... किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/2/2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:26 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:26 IST
Reason: SelfAttested